

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 09 अप्रैल, 2016

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-5270/ श्री बालामुरुगन डी0, भा0प्र0से0(2005), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, दरभंगा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री बालामुरुगन डी0 अगले आदेश तक अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-5271/श्री सुनील कुमार, भा0प्र0से0 (2006), संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है और उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता(एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत लखीसराय जिला का जिला दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री कुमार अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-5272/श्री जय सिंह, भा0प्र0से0(2007), मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-निगमायुक्त, पटना नगर निगम, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पद पर पदस्थापित किया जाता है और उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता(एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत खगड़िया जिला का जिला दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री सिंह अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-5273/श्री दिनेश कुमार, भा0प्र0से0(2007), निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है और उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता(एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत शेखपुरा जिला का जिला दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री कुमार अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-5274/श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, भा0प्र0से0(2007), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सिंह अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

08/1

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-5275/ श्री उदय कुमार सिंह, भा0प्र0से0(2007), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, लखीसराय (अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है और उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता(एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत मुंगेर जिला का जिला दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-5276 / श्री साकेत कुमार, भा0प्र0से0(2009), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, खगड़िया(अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री कुमार अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।


संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-5277/ श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा0प्र0से0(2010), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, शेखपुरा(अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है और उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता(एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत दरभंगा जिला का जिला दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-5278/ श्री हिमांशु कुमार राय, भा0प्र0से0(2010), संवर्ग परिवर्तन के बाद केरल के स्थान पर बिहार संवर्ग आवंटित होने के फलस्वरूप अगले आदेश तक उन्हें संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री राय अगले आदेश तक अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-5279/ श्री शीर्षत कपिल अशोक, भा0प्र0से0 (2011), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना(अतिरिक्त प्रभार-अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना) को अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-निगमायुक्त, पटना नगर निगम, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
9/4/16  
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0- 5279 /पटना-15, दिनांक: 09 अप्रैल, 2016

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा-आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/ मुख्य मंत्री के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग (आयोग कार्यालय के पत्रांक- प0नि0 30-68/2016-2766 दिनांक 09.04.2016 के संदर्भ में), सोन भवन,

बिहार, पटना / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित सभी विभाग/संबंधित सभी पदाधिकारी/ अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आईटी मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सीडी के साथ उपलब्ध कराने हेतु) /सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं 6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. श्री बालामुरुगन डी०, भा०प्र०से०(२००५) एवं श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, भा०प्र०से०(२००७) द्वारा क्रमशः मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, पटना एवं प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के गैर-संवर्गीय पदों को धारित किये जाने की तिथि से अगले आदेश तक इन पदों को भा०प्र०से० (वेतन) नियमावली, २००७ (अद्यतन संशोधित) के नियम-९(अनुसूचित-॥) के तहत अपर सचिव स्तर के पदों के समकक्ष घोषित किया जाता है ।

००५  
९१४१६  
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव ।